भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 396
दिनांक 20 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

*396. श्री गजानन कीर्तिकरः
श्री सुधीर गुप्ताः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिवस का विषय क्या था और सरकार द्वारा इस दिवस को सफल बनाने के लिए क्या पहल की गई है;
(ग) इस अवसर पर कितने कार्यक्रम आयोजित किए गए तथा इस उद्देश्य के लिए कितना व्यय किया गया;
(घ) देश में महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;
(ङ) वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अविवाहित महिलाओं की कुल संख्या कितनी है; और
(च) असुरक्षित परिस्थितियों में अविवाहित महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और अब तक तत्संबंधी उपलब्धियां क्या रही हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (च) : विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

*****

'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस' विषय पर श्री गजानन कीर्तिकर और श्री सुधीर गुप्ता द्वारा 20 मार्च, 2020 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 396 के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ग) : इस वर्ष सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को उच्च-स्तरीय उत्साह, प्रतिभागिता और आउटरीच के साथ मनाया। इस वर्ष के कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के बीच गतिविधियों का अभिसरण दिखाई दिया। देश भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च, 2020 को और उसके बाद महिलाओं के जीवन को स्पर्श करने वाले अनेक विषयों पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ ही मंत्रालयों के स्वायत्त निकायों और संबद्ध संगठनों द्वारा अनेक कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की गईं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सशक्तीकरण और अन्य विषयों तथा महिलाओं से संबंधित क्षेत्रों में सरकार की पहलों और उपलब्धियों को उपयुक्त रूप से प्रस्तुत करने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के साथ ही सप्ताह मनाने का अनुरोध किया है। ऐसा ही अनुरोध सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से किया गया। उनसे भी सभी क्षेत्रों में महिलाओं के अधिक सशक्तीकरण की ओर एक प्रत्यक्ष और सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा को समाप्त करने के लिए पहलें चलाने और उनका उल्लेख करने का भी अनुरोध किया गया। 1 मार्च, 2020 से, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा सात वर्टिकलों जैसे शिक्षा; शहरी महिलाओं; महिलाओं का सशक्तिकरण; विशेष परिस्थितियों वाली महिलाओं यथा पूर्वोत्तर और द्वीप समूहों की दिव्यांग महिलाओं, जनजातीय महिलाओं; ग्रामीण महिलाएं और कृषि और स्वास्थ्य एवं पोषण पर सात दिवसीय अभियान की शुरूआत की गई। इन वर्टिकल्स के तहत कार्यक्रम संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों द्वारा आयोजित किए गए।

अनेक मंत्रालयों/विभागों/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने कार्यशालाएं, संगोष्ठियां, रैलियां, गोलमेज वार्ताएं, सांस्कृतिक गतिविधियां, योगा और कल्याण सत्र, प्रदर्शनियां इत्यादि आयोजित करते हुए पूरे जोश से यह दिवस और सप्ताह मनाए जाने की सूचना दी है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और इसके संबद्ध संगठनों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में या तो स्वयं या अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के सहयोग से प्रख्यात महिलाओं के नाम पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) चेयरों की शुरूआत, MyGov प्लेटफार्म पर नारी शक्ति प्रश्नोत्तरी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस शपथ, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के सहयोग से महिला ऑर्गेनिक उत्सव, विश्व बैंक के सहयोग से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर सेमिनार, वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से दिल्ली हाट में महिला दस्तकारों और बुनकरों की अतुल्य यात्रा पर प्रदर्शनी, परिवर्तन के चैम्पियनों के वृतांत विषय पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ(बीबीबीपी) के तहत सत्यापित सफल कहानियों पर पुस्तक का विमोचन इत्यादि सहित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। विदेशी राजनयिकों के साथ एक परस्पर संवाद सत्र आयोजित किया गया जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री और विदेश मंत्री ने संयुक्त रूप से विभिन्न देशों के राजनयिकों को संबोधित किया और उन्हें महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत की पहलों और उपलब्धियों के बारे में सूचित किया।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए 8 मार्च, 2020 को चुनिंदा महिलाओं को "नारी शक्ति पुरस्कार" से सम्मानित किया गया। मंत्रालय ने प्रिंट इलैक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरुकता अभियान चलाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए अलग से कोई बजट आबंटित नहीं किया गया है। हालांकि, नारी शक्ति पुरस्कार के लिए 1.35 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मंत्रालय ने जन-जागरुकता जागृत करने के लिए मीडिया अभियान और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए लगभग 75 करोड़ रुपये भी चिन्हित किए हैं।

(घ) से (च) : 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार देश में एकल महिलाओं की संख्या 59.36 लाख थी।

लड़कियों और महिलाओं के समक्ष लिंग आधारित असमानताओं, भेदभाव और हिंसा को समाप्त करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। भारत सरकार ने लिंग आधारित भेदभाव का समाधान करने के लिए कई कानून बनाए हैं, जैसे घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005; दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; महिलाओं का अशिष्ट रुपण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1986; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण(रोकथाम, प्रतिषेध और निवारण) अधिनियम, 2013; बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006(पीसीएमए), गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक(लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994(पीसीपीएनडीटी अधिनियम), मजदूरी संहिता, 2019। इसके अलावा, संविधान में 73वें-74वें संशोधन के माध्यम से, स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना अनिवार्य कर दिया गया है।

सरकार विभिन्न स्कीमों जैसे प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी और ग्रामीण), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना(पीएमएमवाई), प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम(पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम(मनरेगा), पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना(डीडीयू-जीकेवाई) और राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(एनयूएलएम), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना(पीएमकेवीवाई) इत्यादि का भी कार्यान्वयन कर रही है, जो महिलाओं के सशक्तीकरण के साथ ही लिंग आधारित भेदभाव समाप्त करने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सैंटर और महिला हैल्पलाइन का सार्वभौमीकरण की योजनाओं का भी कार्यान्वयन कर रहा है। इसके अलावा, घटते बाल लिंग अनुपात(सीएसआर) और जीवन चक्र निरंतरता पर महिलाओं के सशक्तीकरण के मुद्दे के समाधान के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मंत्रालय कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए कामकाजी महिला हास्टल और कामकाजी महिलाओं के छह महीने से छह साल की आयु समूह के बच्चों को डे-केयर सुविधाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिशुगृह स्कीम का भी कार्यान्वयन कर रहा है। उपरोक्त स्कीमों के तहत लाभ एकल महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों द्वारा उठाया जा सकता है।

मातृत्व पश्चात सहयोग अवसंरचना के अभाव के कारण बाधाओं को दूर करने में कामकाजी महिलाओं की मदद करने के उद्देश्य से, सरकार ने वर्ष 2017 में मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में संशोधन किया है, जिसमें सवेतन मातृत्व अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह, प्रसव-पूर्व छुट्टी को 6 सप्ताह से बढ़ाकर 8 सप्ताह, 50 या अधिक कर्मचारियों वाले स्थापनों में शिशुगृह की सुविधा का प्रावधान, बच्चों को खिलाने के लिए टाइम-ऑफ और रात की पालियों में महिला कामगारों को पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ कार्य करने देना इत्यादि की व्यवस्था है। मुस्लिम महिला(विवाह अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 पारित करके मुस्लिम पति द्वारा तात्कालिक और अपरिवर्तनीय तीन तलाक को शून्य और अवैध घोषित किया गया है।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी महिला की वैवाहिक स्थिति सेवाओं की पहुंच या भेदभाव या कठिनाइयों के रास्ते में न आए, एकल माताओं के पक्ष में पासपोर्ट नियमों के साथ ही स्थायी लेखा संख्या(पैन) नियमों में भी संशोधन किया गया है, जिसमें उस व्यक्ति के लिए जिसकी माता एकल अभिभावक हो, पिता के नाम का उल्लेख करना अब अनिवार्य नहीं है। ये संशोधन वैवाहिक स्थिति के बावजूद, लिंग समानता के प्रति एक सशक्त संदेश देते हैं।

*****